

16/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

प्रकरण संख्या 116/2024

20/11/24

उनवान

चन्ता गुर्जर पुत्री स्व० विश्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डोती नरुकान तहसील किशनगढ़

जिला अजमेर राज०

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा०का० अधिनियम 1955 व
धारा 136 रा०भू०रा० अधिनियम 1956

— : : आदेश : : —

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मुण्डोती व भू.अ.नि. पाटन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मुण्डोती तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता संख्या नया 176 पुराना 145 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मुण्डोती	176	नाबालिग चन्दा पुत्री विश्राम संरक्षक सरपस्त माता हिस्सा 1/30 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	नाबालिग चन्दा उर्फ चन्ता पुत्री विश्राम संरक्षक सरपस्त माता हिस्सा 1/30 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(अर्चना चौधरी)

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)